रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

Received from G.I. Press
On
H.C. (Gazette)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1988/ आषाढ़ 25, 1910
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1988/ASADHA 25, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Seperate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a seperate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1988

सा.का.नि. 564.—संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:—

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री नरेश चन्द्र कोछड़, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है, अपने वेतन के अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की अवधि के दौरान 800 रुपए (आठ सौ रुपए केवल) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

[सं. 30/1/86-न्याय]

बी.बी. जैन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

New Delhi, the 1st July, 1988

G.S.R. 564.—In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order, namely :—

That Shri Justice Naresh Chandra Kochhar, Judge of the Rajasthan High Court, who has been transferred from the Delhi High Court to the Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800 (Rupees eight hundred only) per mensem for the period of his service as Judge of the Rajasthan High Court.

[No. 30/1/86-Jus.]

B. B. JAIN, Desk Officer

वित्तीय अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

40. Notification No. 12019/6/83-B(A), dated 28-6-85
41. „ No. 45011/83/82-B(A), Vol. IV(II), dated 8-5-87
42. „ No. 1/9/86-SII/AIR/B(A), dated 25-10-87
43. „ No. 8/45/87-S. II/ATR/B(A), dated 4-4-88
44. „ No. 7/6/87-AR/B(A) dated 12-4-88
45. „ No. 14/18/86-S.II/B(A), dated 25-5-88
46. „ No. 12019/2/87-B(A), dated 26-5-88

[No. 7/5/87-AR/B(A)]

नई दिल्ली, 20 जून, 1988

सा. का. नि. 580 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह 'क') भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'क' भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में सहायक महानिदेशक (सुरक्षा) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
31. सुरक्षा अधिकारी श्रेणी	4* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रुपए	चयन	नहीं	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष (प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए)

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। (ii) 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 1. केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या

वित्तीय अधिकारी

12

(ii) जो केन्द्रीय पुलिस बल संगठन में उप. अधीक्षक/सहायक कमांडेंट का रैंक धारण करते हैं।

(iii) जिन्होंने 2000-3500 रुपए वेतनमान के या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iv) जिन्होंने 1640-2900 रुपए वेतनमान के या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

2. आकाशवाणी में ऐसे विभागीय सुरक्षा अधिकारी श्रेणी 3 (ज्येष्ठ) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी विचार किया जाएगा और यदि पद पर उस पर उनकी नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (सुरक्षा), आ.का.वा.णी — सदस्य 3. उप सचिव/निदेशक (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय — सदस्य स्थायीकरण प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप महानिदेशक (सुरक्षा) आ.का.वाणी — अध्यक्ष 2. उप सचिव/निदेशक (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय — सदस्य टिप्पणी :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग, अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	पद पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण : मूल नियम जिन्हें आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 कहा गया है का. आ. नि. 24 तारीख 23-12-63 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

1. अधिसूचना सं. 11/8/83-बी (ए) तारीख 9-6-64
2. अधिसूचना सं. 11/11/63-बी (ए) तारीख 18-6-64, सा. का. नि. सं. 924 तारीख 27-6-64
3. अधिसूचना सं. 5/24/62-बी (ए) तारीख 31-8-65, सा. का. नि. सं. 1314 तारीख 11-9-65
4. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए), तारीख 17-9-65, सा. का. नि. सं. 1487 तारीख 9-10-65
5. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए), तारीख 27-11-65, सा. का. नि. सं. 1820 तारीख 11-12-65
6. अधिसूचना सं. 13/7/682-बी (ए), तारीख 30-11-65, सा. का. नि. सं. 1873 तारीख 25-12-65
7. अधिसूचना सं. 11/8/65-बी (ए) तारीख 9-9-66 सा. का. नि. सं. 1464 तारीख 4-9-66
10. अधिसूचना सं. 5/3/67-बी (ए) तारीख 7-10-67 सा. का. नि. सं. 1563 तारीख 21-10-67
11. अधिसूचना सं. 20/2/67-बी (ए) तारीख 4-12-67 सा. का. नि. सं. 1856 तारीख 16-12-67

3011
वित्तीय अधिकारी,
विभाग

68. अधिसूचना सं. 33013/7/85—84 तारीख 18-7-86 सा. का. नि. सं. 940(ए) तारीख 18-7-86
69. अधिसूचना सं. 12019/1/85—बी (ए), तारीख 29-1-87 सा. का. नि. सं. 69(ई) तारीख 29-1-87
70. अधिसूचना सं. 12018/2/85—बी(ए), तारीख 5-3-87 सा. का. नि. सं. 273(ई) तारीख 5-3-87
71. अधिसूचना सं. 7/17/83—एसआर/बी (ए), तारीख 5-3-87 सा. का. नि. सं. 274(ई), तारीख 5-3-87
72. अधिसूचना सं. 12018/6/86—बी(ए) तारीख 23-3-87 सा. का. नि. सं. 302 (ई) तारीख 23-3-87
73. अधिसूचना सं. 45011/83/82—बी (ए), खण्ड 11(1) तारीख 5-5-87
74. अधिसूचना सं. 12018/3/86—एस बी/बी (ए)
75. अधिसूचना सं. 12018/5/86—बी (ए) तारीख 20-8-87
76. अधिसूचना सं. 12018/3/86—बी (ए), तारीख 26-10-87
77. अधिसूचना सं. 12018/6/86—बी (ए), तारीख 28-3-88

[सं. 12018/2/85—एस—II/बी(ए)]
कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th June, 1988

G.S.R. 583.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules, 1963*, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A') Recruitment (Second Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules, 1963, after serial number 30 relating to the post of Assistant Director General (Security) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Name of the Post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
"31. Security Officer Grade I	4* (1988) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.	Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
No	Not applicable	Not applicable	2 years (for promotees)	(i) 25% by promotion/transfer deputation. (ii) 75% by transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion/transfer on deputation : 1. Officers of the Central Police Organisations— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making appointment

वित्तीय अधिकारी

12	13	14
(ii) holding the rank of Deputy Superintendent/Assistant Commandant in Central Police Force Organisation, or (iii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; or (iv) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent. 2. The Departmental Security Officer Grade II (Senior) in the All India Radio with 5 years regular servi e in the grade will also be considered and in case he is selected for appointent to the post the same shall be deeed to have been filled by promotion. (The departmental Officers in the feeder category who are in the directline of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	2. Deputy Director General, (Security), All India Radio—Member 3. Deputy Secretary/Director (Broadcasting) Ministry of Information and Broadcasting—Member Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Deputy Director General (Security), All India Radio—Chairman 2. Deputy Security/Director (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	to the post.

*Note : The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No 24 dated 23-12-1963. Subsequently the following amendments were notified.

1.	Notification	No. 11/8/62-B(A), dated 9-6-1964
2.	"	No. 11/11/62-B(A), dated 18-6-1964 GSR No. 924 dated 27-6-1964
3.	"	No. 5/24/62-B(A), dated 31-8-1965 GSR No. 1314 dated 11-9-1965
4.	"	No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-1965 GSR No. 1487 dated 9-10-1965
5.	"	No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-1965 GSR No. 1820 dated 11-12-1965
6.	"	No. 13/78/62-B(A), dated 20-11-1965 GSR No. 1873 dated 25-12-1965
7.	"	No. 11/8/64-B(A), dated 29-5-67 GSR No. 974 dated 1-7-67
8.	"	No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-65
9.	"	No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-66 GSR No. 1464 dated 4-9-66
10.	"	No. 5/3/67-B(A), dated 7-10-67 GSR No. 1563 dated 21-10-67
11.	"	No. 20/8/67-B(A) dated 4-12-67 GSR No. 1856 dated 16-12-67
12.	"	No. 6/107/65-B(A), dated 3-7-67 GSR No. 1352 dated 20-7-68
13.	"	No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-68 GSR No. 1791 dated 28-9-68
14.	"	No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-68 GSR No. 1905 dated 2-11-68
15.	"	No. 5/12/68-B(A), dated 9-10-68 GSR No. 2078 dated 20-11-78
16.	"	No. 8/12/68-B(A), dated 14-11-68 GSR No. 2079 dated 30-11-68
17.	"	No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-69 GSR No. 1473 dated 21-6-69
18.	"	No. 17/6/68-B(A), dated 6-6-69
19.	"	No. 11/5/65-B(A), dated 21-6-69 GSR No. 2252 dated 21-6-69
20.	"	No. 17/2/69-B(A), dated 7-11-69 GSR No. 2885 dated 29-11-60
21.	"	No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-70 GSR No. 405 dated 7-3-70

वित्तीय अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय